न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

ना–पत्र संख्या :–191 / 2022 — दायर दिनांकः 18.08.2022

CMS NO:- 2022/363 — पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

मंजू देवी पत्नी दुर्गाशंकर जाति नाथ नि0 ग्राम सूंसा तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थीया

बनाम

1. प्रभूलाल आ0 कजोड जाति माली नि0 ग्राम सूंसा तहसील नैनवॉ।
2. अम्बालाल आ0 कजोड जाति माली नि0 ग्राम सूंसा तहसील नैनवॉ।
3. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ।

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आरटीएक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।

निर्णय दिनांक 31.07.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम सूंसा प0म0 बटावती तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 129 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 553, 554, 569, 570 व 571 कुल किता 5 कुल रकबा 1.5127 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीया की खातेदारी व आधिपत्य की भूमि है।

यह कि उक्त भूमि पर प्रार्थीया आरम्भ से ही आम रास्ते से होकर अप्रार्थीगण 1 व 2 की भूमि खसरा नम्बर 556 मे होते हुए अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 554 मे पहुंचती है तथा शेष खसरा नम्बरान की भूमि 553, 569, 570 व 571 पर भी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर आती जाती है तथा उक्त रास्ते को परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। परिशिष्ट अ मे दर्शाये रास्ते से ही प्रार्थीया अपने कृषि उपकरणों को लाने ले जाने के काम मे शांतिपूर्वक बदस्तूर करती चली आ रही है। दिनांक 25.07.2022 को बदस्तुर रास्ते पर होकर अपनी भूमि पर बोयी फसल को प्रार्थीया जब देखने गयी तभी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थीया के आडे फिर गये तथा प्रार्थीया से कहने लगे कि अब तू यहां पर होकर नही निकलेगी। यह कोई आम रास्ता नही है तथा रास्ते मे कांटे डालकर व तारबंदी खेंच कर अवरूद्व कर दिया तथा प्रार्थीया को रास्ते पर होकर निकलने से मना कर दिया। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

यह कि प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि वह परिशिष्ट अ मे प्रदर्शित रास्ते को बहाल करवाकर उक्त रास्ते को 20 फीट चौडा रास्ता राजस्व नक्शे मे तरमीम करवाये तथा इस आशय का अंकन समस्त राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस मे करवाये जिसके लिए प्रार्थीया प्रतिकर राशि भी जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रत्यार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 20.06.2025 को की जा चुकी है तथा तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

बहस एकपक्षीय सूनी गयी। प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया आरम्भ से ही आम रास्ते से होकर अप्रार्थीगण 1 व 2 की भूमि खसरा नम्बर 556 मे होते हुए अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 554 मे पहुंचती है तथा शेष खसरा नम्बरान की भूमि 553, 569, 570 व 571 पर भी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर आती जाती है तथा उक्त रास्ते को परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। परिशिष्ट अ मे दर्शाये रास्ते से ही प्रार्थीया अपने कृषि उपकरणों को लाने ले जाने के काम मे शांतिपूर्वक बदस्तूर करती चली आ रही है। प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि वह परिशिष्ट अ मे प्रदर्शित रास्ते को बहाल करवाकर उक्त रास्ते को 20 फीट चौडा रास्ता राजस्व नक्शे मे तरमीम करवाये तथा इस आशय का अंकन समस्त राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस मे करवाये जिसके लिए प्रार्थीया प्रतिकर राशि भी जमा करवाने को तैयार है।

हमने प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बर 554 मे जाने के लिए प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ मे खसरा नम्बर 556 मे जहां से होकर रास्ता चाहा गया है, वह अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 के खेत को दो भागो मे बांट देता है जो दिया जाना न्यायोचित नही है तथा **अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 के खेत खसरा नम्बर 556 मे से होकर ही एक प्रचलित रास्ता निकला हुआ है जो प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 554 मे पहुंचता है, मे से होकर रास्ता दिया जाना** न्यायालय उचित समझता है। अतः

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25.06.2025 अनुसार ग्राम सूंसा स्थित प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बर 554 मे जाने के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 की भूमि खसरा नम्बर 556 मे से संलग्न नक्शा (जिसे आगे जाकर परिशिष्ट क के नाम से जाना जावेगा तथा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा) मे प्रदर्शित मौके पर प्रचलित रास्ता की निम्नानुसार गणना की जाकर रास्ता दिया जाता है।

–:रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरण:–

ख0 नं0	खातेदार	किस्म	लम्बाई	x चौडाई	क्षेत्रफल
556	अम्बालाल वगै0 (खातेदारी)	बंजड	44 गट्ठा	x 2 गट्ठा	88 वर्गगट्ठा अर्थात 352 वर्गमीटर अर्थात 0.0352 हैक्टयर

कुल क्षेत्रफल = 88 वर्गगट्ठा या 352 वर्गमीटर या 0.0352 हैक्टयर

तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत परिशिष्ट क के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मौके पर रास्ता बहाल करें। निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी नैनवॉ

NIC-BHUNAKSH

()

: 23/06/2025 09:59:59 AM

(5)

परिशिष्ट 5

नक्शा

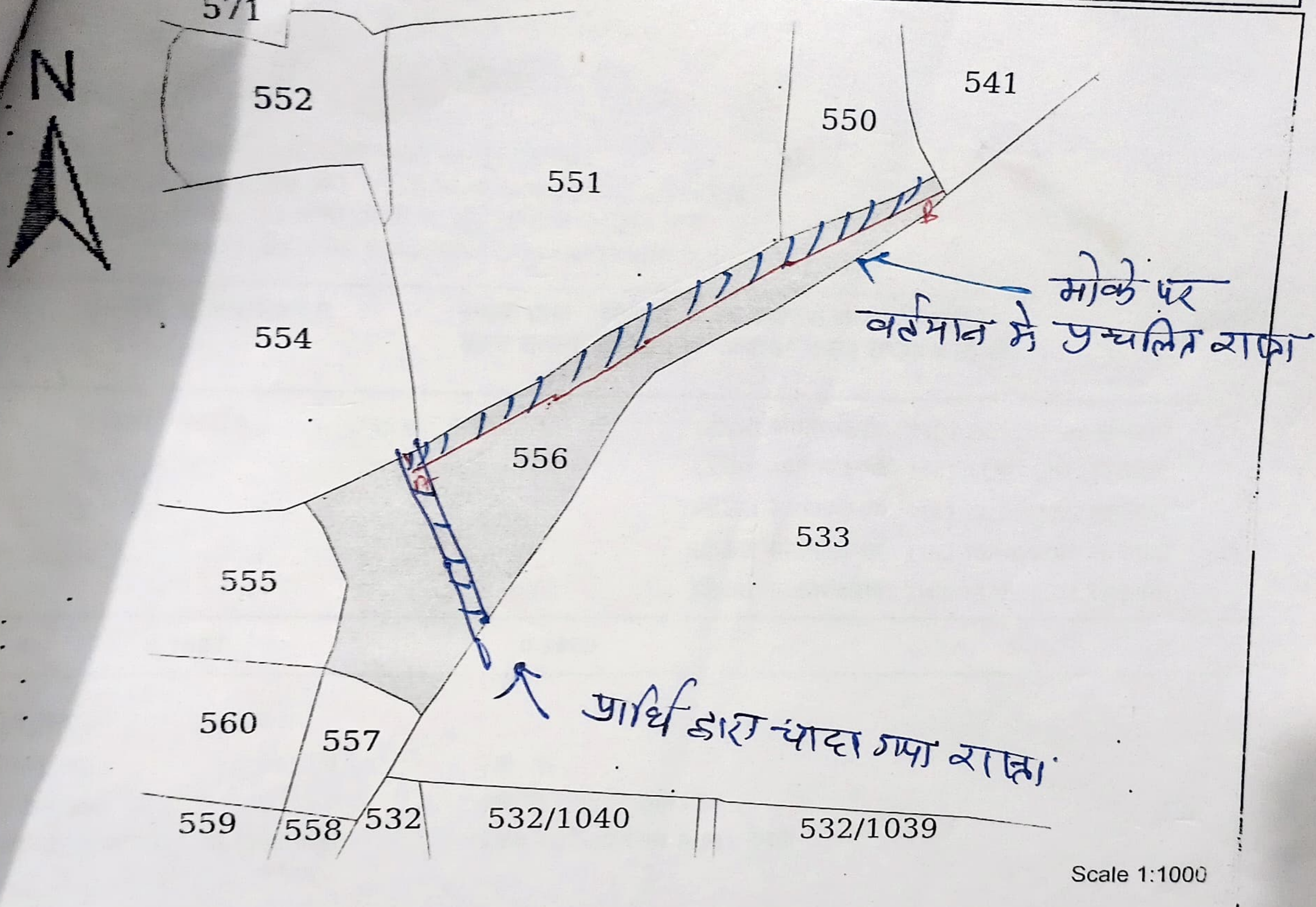

:556 : 0.1537 Hectare : 347 :259

[ ]: ॥ [0.1537, 2.38]

1.) - 1/2 - . -1/2 ( ) JARKHODA,BUNDI,RAJ

2.) - 1/2 - . ..- . 1023 -1/2 ( ) JARKHODA,BUNDI,RAJ

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

23/06/25

पटवारी 23/06/25
पटवार मण्डल कैथूदा
तह. नैनवाँ जिला-बून्दी

(5)

... न्यया नम्बर 554 मे जाने के लिए प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट ... के खेत
... चाहा गया है, वह अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 ... अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 ... के खेत